दिनांक– 29.09.2012 की आहूत कार्यकारिणी समिति की स्थगित बैठक, जो दिनांक– 17.10.2012 दिन बुद्धवार सायं 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थिति समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / सदस्य
3.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
4.	श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
5.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
6.	श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
7.	मो0 वसी	पार्षद / सदस्य
8.	श्री इरफान खॉन	पार्षद / सदस्य
9.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
10.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद / सदस्य
11.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
12.	मो0 सलीम बेग	पार्षद / सदस्य
13.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री एन0 के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
2.	श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त
3.	श्री डी0 के0 गुप्ता	मु0वि0 एवं ले0अ0
4.	श्री जे0 एन0 श्रीवास्तव	मुख्य अभियंता ''सिविल''
5.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता ''वि0 / यॉ0''
6.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक,जलकल

सभापति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये कार्यसूची में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुसार बैठक संचालित करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिये साथ ही सभी सदस्यों से कहा कि हम सभी कानपुर नगर के समग्र विकास हेतु संकल्पित है। इसे सुधारना है–अच्छा बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियॉ यहीं रह कर व्यापार, रोजगार का सृजन करते हुये अपना भविष्य संवारें ।

सभापति के निर्देशानुसार नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि कार्यसूची के बिन्दु 01 के अनुसार सर्वप्रथम उप सभापति का निर्वाचन किया जाना है जिसके विषय में सभापति महोदय दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।

सभापति ने कहा कि यह आप सभी सहमत होकर किसी एक सदस्य का नाम प्रस्तावित कर दे तो निर्वाचन की स्थिति नही बनेगी अन्यथा निर्वाचन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में श्री इरफान ने श्री जितेन्द्र कुमार सचान का नाम और श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' द्वारा

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' का नाम उप सभापति पद हेतु प्रस्तावित किया गया। इस पर सभापति ने एक नाम पर सहमति बनाने हेतु 04:30 बजे बैठक की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की ।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 04:40 बजे बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।

आपसी सहमति न बनने की दशा में सभापति ने कहा कि उप सभापति पद हेतु सर्वप्रथम श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' के नाम से जो सदस्य सहमत हो हाथ उठाकर समर्थन व्यक्त करें । इस पर आठ सदस्यों द्वारा श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया। तद्नुसार सभापति ने अवगत कराया कि चूँकि कार्यकारिणी समिति के कुल 12 सदस्यों में से 08 सदस्यों ने श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया है । अतः श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' को उप सभापति निर्वाचित घोषित किया जाता हैं। अब दूसरे नाम पर समर्थन का औचित्य ही नही रह जाता है।

उप सभापति निर्वाचित घोषित होने पर श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' को सभापति के बगल की सीट पर आसीन कराया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–01</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/149/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 14.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनाथ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

कानपुर नगर में वाहनों की बढ़ती संख्या एवं बाजार के व्यवसायीकरण के फलस्वरूप नगर में सुव्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन के समक्ष दिनांक 11.07.2012 को कानपुर के समग्र विकास से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी क्रम में जोन–1 के अर्न्तगतम नरोना चौहारा के पास स्थित पनचक्की चौराहे पर पूर्व में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित टैक्सी पार्किग स्थल को मल्टीलेविल पार्किग स्थल में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्य हो जाने से इस क्षेत्र के आसपास स्थित बिरहाना रोड, माल रोड, सागर मार्केट एवं रामनारायण बाजार आदि क्षेत्रो में सड़क के किनारे व मध्य पार्किंग होने से लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी, साथ ही फूलबाग में समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रदर्शनी हेतु भी पार्किग स्थल उपलब्ध हो जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–02

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः 1477/3/प/न0आ0 दिनांक 18.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रेषित।

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्यकर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्यांकन तक की सम्पत्तियों पर सामान्यकर (गृहकर), वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।
2. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्यांकन से अधिक की सम्पत्तियों पर सामान्यकर (गृहकर), वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूखण्डों पर आरोपित एवं देय सामान्यकर (गृहकर) का समस्त गृहस्वामियों/अध्यासियों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए एवं नगर निगम के निरन्तर चल रहे वसूली अभियान में गति लाने तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा सम्पत्ति कर(गृहकर) में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 02.04.2012 को तत्कालीन मा0 महापौर जी एवं नगर आयुक्त द्वारा ऐसे करदाता जिन पर सामान्यकर (गृहकर) के मद मे कोई बकाया अवशेष न हो, उनको वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 की चालू मॉग पर 30, नवम्बर 2012 तक प्रथम चरण में अप्रैल 12 से जून 12 तक एवं तद्पोरान्त प्रतिमाह एक–एक माह के लिए छूट का समय बढाये जाने हेतु दिनांक 31.08.2012 को मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष यह प्रस्ताव विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–03

नगर आयुक्त के कार्यालय पत्र संख्या डी/10/मु0क0नि0अ0 दिनांक 18.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

नगर निगम, कानपुर द्वारा नामान्तरण शुल्क, शमन शुल्क एवं उनके प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन शुल्क पुरानी दरो से लिये जा रहे है, जो काफी पुराने है और नगर निगम को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। वर्तमान समय में उन सभी की दरो को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जो निम्नवत् हैः

क्र. सं.	वार्षिक मूल्यांकन	वर्तमान निर्धारित नामान्तरण शुल्क	क्र. सं.	विवरण	प्रस्तातिव नामान्तरण शुल्क
1.	रू0 1 से 2000 तक	200	1.	भूखण्ड/भवन में पंजीकृत विलेख/वैनामा रू.01 से रू0 2,00,000/– तक	विक्रय मूल्य(जिस पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया हो) का 0.3 प्रतिशत
2.	रू0 2001 से 5000 तक	300	2.	भूखण्ड/भवन में पंजीकृत विलेख/वैनामा रू.2,00,000/– से ऊपर	विक्रय मूल्य (जिस पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया हो) का 0.5 प्रतिशत
3.	रू0 5001 से 10000 तक	400			
4.	रू0 10000 से अधिक	500			

विरासत/वसीयत/हिबा/उत्तराधिकारी के आधार पर होने वाले नामान्तरण पर नामान्तरण शुल्क निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

क्रमांक	सम्पत्ति की श्रेणी	100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड	100 वर्ग मीटर से अधिक तथा 300 वर्ग मीटर से अनाधिक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड	300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन/भूखण्ड
1.	आवासीय	रू0 500.00	रू0 1000.00	रू0 3000.00
2.	मिश्रित	रू0 750.00	रू 2000.00	रू0 4000.00
3.	अनावासीय	रू0 1000.00	रू0 3000.00	रू0 5000.00

शमन शुल्क :– शमन शुल्क के सम्बन्ध में भवन स्वामी/अध्यासियों के द्वारा सम्पत्ति हस्तानान्तरण कराने के पश्चात भी वर्षानुवर्ष नगर निगम में नामान्तरण नही कराया जाता है और न ही कोई सूचना दी जाती है। इसके कारण सम्पत्तियां कराधान से वचिंत रहती है और हस्तान्तरण में विलम्ब होने से नगर निगम को आर्थिक क्षति होती है। शमन शुल्क निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाता हैः–

क्र. सं.	वर्तमान वार्षिक मूल्याकंन	वर्तमान निर्धारित शमन शुल्क	क्र0 सं0 **प्रस्तावित शमन शुल्क**
1.	रू0 1 से 2000 तक	250	**1.** **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 06 माह तक कोई शमन शुल्क देय नही होगा।
2.	रू0 2001 से 5000	400	**2.** **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 06 माह के पश्चात एंव 03 वर्ष की अवधि के अन्दर नामान्तरण पर

	तक		वर्तमान प्रस्तावित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्धारित नामान्तरण शुल्क का 50 प्रति0 शमन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
3.	रू0 5001 से 10,000 तक	500	
4.	रू0 10,000 से अधिक	700	**3.** **सम्पत्ति** के हस्तान्तरण के 03 वर्ष के पश्चात कभी भी नामान्तरण हेतु आवेदन किये जाने पर वर्तमान प्रस्तावित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्धारित नामान्तरण शुल्क के समकक्ष शत्–प्रतिशत धनराशि के रूप में शमन शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

<u>प्रकाशन शुल्कः–</u> नामान्तरण प्रकिया में समाचार पत्रों में प्रकाशन के मद में होने वाले व्यय के सम्बन्ध में प्रस्तावित, प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

वर्तमान में प्रभावी प्रकाशन शुल्क	प्रस्तावित प्रकाशन शुल्क
रू0 250.00	रू0 500.00

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभी सदस्यों ने कहा कि रू0 2,00,000.00 (रूपया दो लाख) से ऊपर के बैनामा पर विक्रय मूल्य का रू0 0.50 प्रतिशत जो नामान्तरण शुल्क प्रस्तावित किया गया है, उसे कम किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि शासन स्तर से प्रायः निर्देश प्राप्त होते रहते है कि निकाय अपनी आय के श्रोतो में स्वयं वृद्धि करें और नागरिकों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायें । कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने देयकों के भुगतान हेतु दबाव बनाया जा रहा है उनके छठवें वेतन आयोग का बकाया व अन्य में लगभग रू0 34.00 करोड़ (रूपया चौतीस करोड़) की देनदारी है। कानपुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य भी कराये जाने है, इसके लिये धन की नितान्त आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में नामान्तरण शुल्क आदि, जिसमें वर्ष–1962 से कोई वृद्धि नही हुई है, में वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है जबकि वेतन व पेंशन तथा अन्य खर्चो में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लखनऊ नगर निगम में ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। अतएव कार्यकारिणी समिति से अनुरोध है कि प्रस्ताव अनुमोदित कर सदन को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

सभापति ने भी शहर के समग्र विकास हेतु प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेगे और कालान्तर में इसका प्रभाव दिखेगा। उदाहरण देना चाहता हूँ कि पूर्व में इन्टरमीडिएट के अध्यापक को मात्र 150 रूपये और डिग्री कालेज के अध्यापकों को रू0 250 प्रतिमाह वेतन मिलता था, वर्तमान में डिग्री कालेज के अध्यापक को लगभग रू0 1,00,000 प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। अतः समय के साथ आगे बढ़ना होगा।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि रजिस्ट्री आफिस में यदि किसी अधिकारी को नामित कर दिया जाये तो हुई रजिस्ट्रियों के हिसाब से सम्बन्धित को नोटिस भेज कर नामान्तरण हेतु कार्यवाही कराई जाये, इससे नगर निगम की आय में शीघ्र वृद्धि हो सकेगी।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि इसके लिये जोनल अधिकारी जोन–1 को पूर्व से ही नामित कर दिया गया है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–04</u>

. पत्र संख्या 315/न0स्वा0अधि0 (चि0)/12 दिनांक 24.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रेषित।

महानगर में नगर निगम द्वारा संचालित क्रमशः चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, जे0ए0एम0चिकित्सालय, गोविन्द नगर एवं डा0 बी0एन0भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा का चिकित्सा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। समय–समय पर चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने और शासनादेश सं0 5282/नौ–4–94–21जनरल/91 दिनांक 17जनवरी,1995के द्वारा चिकित्सीय सेवा संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप चिकित्सकों की नियुक्ति न हो पाने के कारण शनैः–शनैः चिकित्सकों की कमी होती गई। वर्तमान समय में चिकित्सकों की उपलब्धता न के बराबर होने के कारण उपरोक्त वर्णित चिकित्सालयों का सुचारू संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, कोपरगंज, जे0ए0एम0चिकित्सालय, गोविन्द नगर एवं डा0 बी0एन0भल्ला चिकित्सालय, बाबूपुरवा को पूर्ण रूपेण संचालित कर क्षेत्रीय एवं आस–पास की जनता को लाभान्वित किये जाने के लिए इन तीनों चिकित्सालयों को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर चलाये जाने के लिए सामाजिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये और नगर निगम की शर्तो को पूरा करने वाली सामाजिक संस्थाओं/एन0जी0ओ0 या इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों को संचालन के लिए विधिक/समुचित अनुबन्ध कर सौंप दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि एकश फाउन्डेशन संस्था द्वारा चाचा नेहरू चिकित्सालय को अंगीकृत करने की सहमति प्रदान की गई है और उसी तरह प्रस्तावित दोनो चिकित्सालयों को भी पी.पी.पी. मॉडल से संचालित किया जाना है।

उप सभापति ने कहा कि इसी तरह नगर निगम के अन्य चिकित्सालयों को भी संचालित कराया जाये।

सभापति ने कहा कि पी.पी.पी. मॉडल के तहत जो संस्था इच्छुक हो उससे सम्पर्क स्थापित कराया जाये ताकि निर्धन व असहाय लोगो को रियायती दरों पर चिकित्सीय सुविधा मोहैया कराई जा सकें।

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि चूँकि शासन द्वारा नगर निगम चिकित्सा विभाग को मृत काडर घोषित कर डाक्टरों की नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाते हुये पी.पी.पी. मॉडल को प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतः नागरिकों को रियायती दरों में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के समस्त 42 चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों को संचालित करने का प्रयास किया जायेगा।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–05

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/66/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.06.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना District-IV- Part-III हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रू0 20736.00 लाख के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय किस्त के रूप में निकायांश की धनराशि रूपया 1555.20 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, व द्वितीय चरण की केन्द्रांश व राज्यांश कुल धनराशि रूपया 7284.00 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 3636.17 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त उक्त निकायांश की धनराशि रू0 1555.20 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–06

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/65/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.06.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–2 (कान्सट्रक्शन आफ 210 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान एट बिनगवाँ) हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 10100.45 लाख के परिप्रेक्ष्य में तृतीय किस्त के रूप में निकायांश की धनराशि रूपया 757.53 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण की केन्द्रांश व राज्यांश कुल धनराशि रूपया 6312.75 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 3229.02 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। तृतीय किस्त के रूप में प्राप्त उक्त निकायांश की धनराशि रू0 757.53 लाख कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.06.2012 को प्रदान की गयी है ,जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–07

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/48/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 22.05.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना पार्ट–II हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 37778.92 लाख के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रूपया 4700.00 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण की कुल धनराशि रूपया 28334.22 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 21208.78 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू॰ 4700.00 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.05.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–08

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/49/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 22.05.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) पार्ट–I हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि रूपया 27094.89 लाख के परिप्रेक्ष्य में चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रूपया 3250.00 लाख की शासन द्वारा कानपुर नगर निगम को प्राप्त करायी गयी है। इसके पूर्व शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण की कुल धनराशि रूपया 2032.16 लाख कार्यदायी संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम को प्राप्त करायी जा चुकी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की धनराशि के सापेक्ष रूपया 17556.13 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रूप 3250.00 लाख कार्यदायी

संस्था बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराया जाना है, की स्वीकृति योजना हित एवं कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.05. 2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–09

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/80/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 18.06.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना District-IV- Part-III योजना भारत सरकार द्वारा रूपया 207.36 करोड की स्वीकृत प्रदान की गयी, जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अबतक केन्द्रांश, राज्यांश एवं निकाय अंश कुल रू0 50,00,00,000,00 की धनराशि निर्गत की गयी थी जिसके परिप्रेक्ष में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को रू0 50,00,00,000.00 की धनराशि कम प्राप्त करायी गयी थी जिसे निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 04.04.2011 एवं लेखा विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त अवशेष धनराशि रू0 1,84,00,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा अनुरोध किया गया है। योजना एवं कार्यहित को दृष्टिगत करते हुए कार्य को द्रुतिगत से सम्पादित कराये जाने हेतु रू0 1,84,00,000.00 की धनराशि कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.06.2011 को प्रदान की गयी है, जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–10

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/203/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2013 दिनांक 20.102011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

कानपुर स्थित जाजमऊ में 36 एम0एल0डी0, सी0ई0टी0पी0 के सुचारू रूप से संचालन एवं रख–रखाव हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं जिलाधिकारी की बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में शोधन संयत्र के संचालन कार्य हेतु नगर निगम की अवशेष एवं भविष्य का अंशदान नियमित रूप से किये जाने की अपेक्षा की गयी है। परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम कानपुर के अनुरोध एवं

कार्यहित में उक्त सी0ई0टी0पी0 के रख–रखाव एवं संचालन हेतु रू0 25,00,000.00 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 20.10.2011 को प्रदान की गयी है, जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–11</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/214/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2012 दिनांक 02.11.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज वर्कस योजना इन इनर ओल्ड एरिया पार्ट–I (स्वीकृत लागत– 190.88 करोड़) के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि रूपया 3,81,76,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजनाहित व कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए नगर आयुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रूपया 3,81,76,000.00 अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 02.11.2011 को प्रदान की गयी है, जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–12</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी0/215/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल/2011–2012 दिनांक 02.11.2011 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई'जी' कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–II (210एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एट विनगवाँ) स्वीकृत लागत– रू0 101.0045 करोड़ के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा शासन से प्राप्त धनराशि रू0 2,02,01,000.00 उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना

हित व कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए नगर आयुक्त द्वारा कार्यदायी संस्था, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रूपया 2,02,01,000.00 अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृत दिनांक 02.11.2011 को प्रदान की गयी है, जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–13

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 127/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की पेयजल योजना (इनर ओल्ड एरिया) फेज–1 की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 27094.89 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि रू0 1491.61 लाख शासन के पत्र संख्याः 1231(2)/नौ–5–55बजट/2006 टीसी, नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 23571.16 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू. 136.86 व राज्यांश की धनराशि रू. 1354.75 कुल रू. 1491.61 लाख कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 1491.61 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक.24.08.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–14

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/128/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की पेयजल योजना (अवशेष भाग) फेज–1I की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 37778.92 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि रू0 1911.294 लाख शासन के पत्र संख्याः 2842(1)/नौ–5–55बजट/2006 टीसी नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 33034.22 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। चतुर्थ किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि केन्द्राशं रू.–22.36 व राज्यांश की धनराशि रू. 1888.934 कुल रू. 1911.294 लाख कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 1911.294 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.08.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–15</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 126 / न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 24.08.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर की सीवरेज योजना (District IV & Part-III) की स्वीकृत परियोजना की लागत रूपया 20736.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि रू0 528.80 लाख शासन के पत्र संख्याः 2842(1)/नौ–5–2012–55बजट/2006 टीसी , नगर विकास अनुभाग–5,दिनांक 07 अगस्त, 2012 के माध्यम से प्राप्त हुआ हैं । उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त योजना हेतु शासन से प्राप्त कुल रूपया 8839.20 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। द्वितीय किस्त के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू. 128.80 व राज्यांश की धनराशि रू. 400.00 कुल रू. 528.80 लाख, कार्यदायी संस्था द्वारा योजना व कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरान्त कार्यहित में व कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर को शासन से प्राप्त उक्त धनराशि रू. 528.80 लाख उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक. 24.08.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के अनुसार मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रस्ताव संख्या	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम
16	शहर की मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 600 नग सोडियम चोक 250 वाट का क्रय।	4(1)B 2305005	8,78,490.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग
17	नगर निकाय चुनाव के अवसर पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1500 नग सोडियम लैम्प 250 वाट का क्रय।	4(1)B 2305005	7,24,500.00	मे0 एम0एम0 सेल्स का0
18	कानपुर नगर निगम सदन हॉल में साउण्ड व्यवस्था हेतु चेयरमैन यूनिट एवं डेलीगेट यूनिट इत्यादि के क्रय एवं इंस्टालेशन हेतु।	4(1)B 2305005	6,07,767.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज

..... **सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या– 16, 17 एवं 18 को क्रमशः पृथक–पृथक स्वीकृति प्रदान करते हुये पढ़े गये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–19</u>

नगर आयुक्त कार्यालय पत्र संख्या डी/297/ए0ए0–4 दिनांक 20.09.12 के द्वारा सूचनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोन–4 के अर्न्तगत हनीमैन चौराहे से डी0आई0जी आवास होते हुये मछली वाला हाता तक बी0एम0 व एस0डी0सी का कार्य (पार्ट–ए) का आगणन धनांक रू0 8,49,515.00 का बनाया गया है जिसकी स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 13.10.11 को प्रदान की गयी है। उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 13.04.12 को मांगी गयी, जिसमें कुल 07 निविदायें वैद्य प्राप्त हुई है। सर्व निम्न निविदादाता मै0 बी0एन0 कान्सट्रक्शन की निविदा आगणन से 7.67 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 7,84,357.19 पैसे की प्राप्त हुई है। इस कार्य का व्यय रोड कटिंग के बजट हेड 5(3)बी 2ए से प्रस्तावित है।

अतः सर्व निम्न निविदादाता मै0 बी0एन0 कान्सट्रक्शन की निविदा आगणन से 7.67 प्रतिशत निम्न धनांक रू0 7,84,357.19 पैसे व्यय की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 10.09.12 को प्रदान कर दी है। कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये पढ़ा गया।

सभापति की अनुमति से अनुपूरक कार्यसूची निम्नवत् टेबुल की गई :–

<u>प्रस्ताव संख्या–20</u>

कार्यालय पत्र सं0 डी/123/सम्पति/12 दिनांक 27.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत ।

विषय : पुरानी सब्जी मण्डी रंजीतपुरवा की 7622 वर्गमीटर भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि थाना बादशाहीनाका के नये भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 पुलिस विभाग को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में ।

डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर द्वारा पत्र सं0 भ–179/98 दिनांक मार्च 02, 2009 के माध्यम से थाना बादशाहीनाका के नये भवन बनाने हेतु भूमि आवंटित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था । इस प्रस्ताव में 8000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गयी थी, जिसके उत्तर में तत्कालीन नगर आयुक्त के पत्रांक डी/179/सम्पत्ति/09–10 दिनांक 24.07.2009 द्वारा यह अवगत करा दिया गया था कि थाना बादशाहीनाका हेतु वांछित 8000 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

दिनांक 04.11.2009 को पत्र सं0 1500/एस0टी0/2009 के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा उक्त निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् पत्रांक 179/96/डीआईजी दिनांक 05.11.2009 द्वारा तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर नगर ने पुनः सम्पूर्ण 8000 वर्गमीटर भूमि के अन्तर्गत 2500 वर्गमीटर भूमि थाने के नवीन भवन हेतु भूमि का अनुरोध किया गया । इसके उत्तर में पुनः तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति से ही अवगत करा दिया गया ।

दिनांक 19.06.2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के समक्ष कानपुर महानगर के समग्र विकास हेतु प्रस्तुत की गयी विभिन्न परियोजनाओं में पुलिस विभाग के द्वारा पुनः बादशाहीनाका थाने की आवश्यकता को इंगित करते हुए वर्तमान थाना भवन अपर्याप्त एवं किराये की भूमि में होने के कारण तथा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण नगर निगम की उपरोक्त भूमि जो बादशाहीनाका सब्जीमण्डी के रूप में कही जाती है और वर्तमान में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमित कर

व्यवसाय किया जा रहा है , को रिक्त होने के बाद सम्पूर्ण भूखण्ड 8000 वर्गमीटर से 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर थाना भवन बनाये जाने हेतु भूखण्ड की मांग अपने पत्र सं0 एसटी/100/2012/डीआईजी/एसएसपी दिनांक 28.06.2012 द्वारा की गयी है । इस सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2012 को मण्डलायुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में भी तद्नुसार निर्णय लिया गया तथा दिनांक 11.07.2012 को मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (कार्यवृत्त संलग्न) में दिनांक 19.06.2012 को मा0 मुख्यमंत्री जी की आयोजित बैठक में कार्यवृत्त के क्रमांक 1.6 के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा वांछित भूमि को सांकेतिक लीज रेन्ट पर देने का निर्णय लिया गया ।

उप महानिरीक्षक पुलिस, कानपुर नगर को नगर आयुक्त के पत्रांक 934/3/प दिनांक 11.07.2012 द्वारा अवगत करा दिया गया कि भूमि के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा । वर्तमान बादशाहीनाका में अतिक्रमित कर संचालित मण्डी का फोटोग्राफ कार्यकारिणी के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है । इसी सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा द्वारा अपने पत्रांक सीओबी–2 /12 दिनांक 07.07.2012 में उल्लेख किया गया है कि थाना भवन निर्मित होने के बाद अवशेष भूमि पर मल्टीस्टोरी शॉपिंगमॉल बनाया जा सकेगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त यह स्थिति पायी गयी कि पुलिस विभाग भी नगर निगम की तरह सेवा का विभाग है , जो सामाजिक सुरक्षा/सुरक्षा हेतु अपरिहार्य है । नगर निगम में दैनिक कार्यों यथा–भूमि विवाद को निस्तारित करने , अनाधिकृत कब्जों को हटाने , यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने व विधि व्यवस्था सामान्य करने हेतु पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग वांछित होता है । चर्चा में यह भी पाया गया कि बादशाहीनाका का भवन अपर्याप्त एवं अस्वस्थ वातावरण में संचालित है , जिससे क्षेत्र की विधि व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस सक्रिय नहीं रह पाती है । कानपुर महानगर समग्र विकास की ओर अग्रसर है और विकसित नगर में आधुनिक थाना व साज–सज्जा सहित, का निर्माण आवश्यक है । घनी आबादी क्षेत्र में कोई अन्य स्थल उपलब्ध न होने के कारण पुलिस विभाग द्वारा उक्त भूमि की पहचान कर प्रस्ताव दिया गया है , जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त पाया गया ।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत नगर निगम की सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है, तथा उपधारा 4 व 5 में विभिन्न शर्तों का उल्लेख है । इन धाराओं में दी गयी व्यवस्थाओं में उल्लिखित प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित नहीं है , अपितु यह प्रस्ताव राज्याधीन सेवा विभाग के पक्ष में मुख्य सचिव , उ0प्र0 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिये जाने से सम्बन्धित है ।

अभिलेखों के अनुसार दिनांक 02.09.2009 की बैठक में प्रस्ताव सं0 861 द्वारा इस भूमि के उपयोग पर विचार किया गया था और भूतल पर दुकाने , द्वितीय तल पर फ्लैट का निर्माण व छत का बारातशाला के रूप प्रयोग का प्रस्ताव था , इसकी स्वीकृति नहीं हुयी , अतएव प्रस्ताव विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है ।

यह भी संज्ञान में लाया जाना है कि उपरोक्त स्थल का सर्किल रेट के 50 प्रतिशत मूल्य की दर 35,000.00 वर्गमीटर निर्धारित है, परन्तु मुख्य सचिव , उ0प्र0 द्वारा लिये गये उपरोक्त प्रस्तावित वांछित भूखण्ड को सांकेतिक लीज रेन्ट पर लिये जाने का प्रस्ताव है । 30–30 वर्ष की लीज कुल 90 वर्ष के लिये लीज पर दिया जाना प्रस्तावित है ।

ह0.....महापौर

नगर निगम सदन के सकारात्मक निर्णय के उपरान्त निर्धारित लीज रेन्ट पर थाना बादशाहीनाका उ0प्र0 पुलिस विभाग को वांछित 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने हेतु शासन के नगर विकास विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तद्नुसार लीज डीड सम्पादित की जायेगी।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

मार्ग प्रकाश

कार्यालय पत्र संख्या डी/579/ए0ई0 (एल)/12–13 दिनांक 27.09.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम
21	मा0 विधायको द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 127 नग सोडियम फिटिंग एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	7,18,128.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम0एम0 सेल्स का0 मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
22	मा0 सांसदगणों द्वारा विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 131 नग सोडियम फिटिंग एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	7,40,184.00	मे0 स्मार्ट एजेन्सीज मे0 एम0एम0 सेल्स का0 मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
23	जोन–6 के अन्तर्गत 19 वार्डो के लिये 190 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,68,340.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स

24	जोन–5 के अन्तर्गत 19 वार्डो के लिये 190 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,68,340.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
25	जोन–4 के अन्तर्गत 18 वार्डो के लिये 180 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,39,680.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
26	जोन–3 के अन्तर्गत 18 वार्डो के लिये 180 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,39,680.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
27	जोन–2 के अन्तर्गत 18 वार्डो के लिये 180 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,39,680.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
28	जोन–1 के अन्तर्गत 18 वार्डो के लिये 180 नग सी0एफ0एल0 फिटिंग 85 वाट एवं सहायक सामग्री क्रय हेतु।	4(1)B 2305005	5,39,680.00	मे0 अर्जुन इण्टरप्राइजेज मे0 संजय ब्रदर्श मे0 आधुनिक ट्रेडर्स मे0 भोले इलेक्ट्रिकल्स
29	आगामी त्योहारो जैसे गणेश महोत्सव, नवरात्रि एवं दशहरा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पर्वो पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1800 नग सोडियम लैम्प 250 वाट का क्रय।	4(1)B 2305005	8,69,400.00	मे0 एम0एम0 सेल्स का0

30	आगामी त्योहारो जैसे गणेश महोत्सव, नवरात्रि एवं दशहरा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पर्वो पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 600 नग सोडियम चोक 250 वाट का क्रय।	4(1)B 2305005	8,78,490.00	मे0 राजकमल मार्केटिंग

..... सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या– 21 से 30 तक क्रमशः पृथक–पृथक स्वीकृति प्रदान करते हुये पढ़े गये।

प्रस्ताव संख्या–31

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 369/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 12.01.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर की पेयजल योजना पार्ट–II (शहर के अवशेष क्षेत्र) की स्वीकृत लागत रूपया 37778.92 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में शासन द्वारा पत्र संख्याः 2788/नौ–9–2011–103 आरएफ/11 दिनांक 28 दिसम्बर,2011 को निकाय अंश रूपया 28,33,42,000.00 की धनराशि प्राप्त करायी गयी है। कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, बैराज इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा उक्त प्राप्त निकाय अंश रूपया 28,33,42,000.00 को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में नगर आयुक्त द्वारा उक्त धनराशि रूपया 28,33,42,000.00 कार्यदायी संस्था, बैराज इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृत दिनांक 12.01.2012 को प्रदान की गयी है। जो मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–32

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 166/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 19.09.2012के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना में कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की स्वीकृत परियोजना लागत रूपया 5623.79 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तृतीय किस्त के परिपेक्ष्य में स्वीकृत निकाय अंश की धनराशि रूपया 4,21,77,500.00 निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–5, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर द्वारा योजना कार्यहित में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना व कार्यहित में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रूपया 4,21,77,500.00 कार्यदायी संस्था, निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–5, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को भुगतान करने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 19.09.2012 को प्रदान की गयी है, जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–33

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 401–ए/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 27.02.2012 द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजना लागत रू0 5623.79 लाख के शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी चर्तुथ किस्त के रूप में केन्द्रांश व राज्यांश की कुल धनराशि रूपया 9,84,14,000.00 कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर को योजना व कार्यहित में अवमुक्त/ भुंगतान किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.02. 2012 को प्रदान की गयी है जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–34

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 421/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2011–12 दिनांक 22.03.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कानपुर नगर की सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजना लागत रू0 5623.79 लाख के शासन द्वारा प्राप्त करायी गयी चर्तुथ किस्त के रूप में निकायांश धनराशि रूपया 4,2178,200.00 व अवशेष धनराशि रू0 35,17,180.00 इस प्रकार कुल धनराशि 4,56,95,360.00 कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी. एस. यूनिट–5, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को योजना व कार्यहित में अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृत नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.03.2012 को प्रदान की गयी है जो कि मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–35

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी0/ 157/ न0आ0/ प्रोजेक्ट–सेल / 2012–13 दिनांक 20.09.2012 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना (कान्सट्रक्शन आफ 210 एम.एल.डी. ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एट बिनगवॉ) पार्ट–2 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू. 14196.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 1047/नौ–5–2011–60सा/11, दिनांक 31..03.2011 के अनुसार प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में स्थानीय निकाय निदेशालय के पत्र दिनांक 24.08.2012 के अनुसार बढ़ी हुई लागत रू. 4095.55 लाख के सापेक्ष रू. 975.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। योजना व कार्यहित में महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर द्वारा अनुरोध पर नगर आयुक्त द्वारा रू. 9,75,00,000.00 (रू. नौ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) कार्यदायी संस्था, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाईख उ.प्र. जल निगम, कानपुर को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दिनांक 20.09. 2012.को प्रदान की गयी। जो कि मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–36

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 23.09.12 के क्रम में नगर निगम अधिनियम –1959 की धारा 172 की उप धारा '02(झ) व 202 के अर्न्तगत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव।

प्रेक्षाग्रहो में प्रर्दशित होने वाले विज्ञापन पर प्रति प्रर्दशन (शो–टैक्स) की दरें पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अनुभाग–6 से संख्या 4352/बी/11–6–79–226–79 यू0पी0 अधि0–59 सूची –79 लखनऊ 13 अगस्त 1979 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू है। जिसे प्रभावी किये लगभग 33 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इसलिये शो–टैक्स की दरों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है। दरों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निम्न रूप से प्रस्तुत हैः–

प्रचलित दरें			**संशोधित प्रस्ताव**		
क0सं0	**श्रेणी**	**दरे**	**क0सं0**	**श्रेणी**	**दरे**
1.	प्रथम श्रेणी की सभी सिनेमा घर जिनका वार्षिक मूल्यांकन रू0 10,000/– से अधिक है।	रू0 20/– प्रति–शो/प्रति प्रर्दशन	1.	प्रथम श्रेणी की सभी सिनेमा घर जिनका वार्षिक मूल्यांकन रू0 10,000/– से अधिक है।	रू0 200/– प्रति–शो/प्रति प्रर्दशन
2.	द्वितीय श्रेणी की सभी सिनेमा घर जिनका वार्षिक मूल्यांकन रू0 10,000/–या कम	रू0 10/– प्रति प्रर्दशन	2.	द्वितीय श्रेणी की सभी सिनेमा घर जिनका वार्षिक मूल्यांकन रू0 10,000/–या कम	रू0 100/– प्रति प्रर्दशन

	है।			है।	
3..	अन्य आमोद–प्रमोद तथा मनोरंजन	रू0 10/– प्रति प्रर्दशन	3..	अन्य आमोद–प्रमोद तथा मनोरंजन(सर्कस मोतीझील आदि लान में आयोजित होने वाले फेयर जहॉ प्रेवश शुल्क/टिकट का प्राविधान हों)	रू0 200/– प्रति प्रर्दशन (प्रतिदिन/प्रतिरात्रि)

उपरोक्त प्रस्ताव को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ /स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

सभापति ने कहा कि सिनेमा घर पूर्व से ही बन्द की कगार पर है और कुछ बन्द भी हो गये है। अतः इसे लागू कर अपयश का भागीदार न बना जाये।

..... सर्वसम्मति से निरस्त किया गया ।

<u>प्रस्ताव संख्या–37</u>

कार्यालय पत्र सं0 दिनांक को मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

. विषयः–**मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परिसर के बाहर रिक्त भूमि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय परिषदीय, शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को मध्यावकाश में गर्म व पौष्टिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा कानपुर जनपद में अक्षय पात्र एवं समकक्ष स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नगर क्षेत्र में केन्द्रीय किचेन स्थापित कर गर्म एवं पौष्टिक भोजन विद्यालयों में वितरित कराने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक/एम0डी0एम0/2676–82/2012–13 द्वारा नगर निगम से अक्षय पात्र फाउन्डेशन हेतु भूमि की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है। इस सम्बन्ध में अक्षयपात्र संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नगर में नगर निगम गॉधी स्मारक इण्टर कालेज, गोविन्द नगर के पीछे की भूमि को उपयुक्त माना है, किन्तु गॉधी स्मारक इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध दो एकड़ भूमि को विद्यार्थियों के खेलकूद के लिये आरक्षित है और यह भूमि निर्धारित मानक से कम भी है इसलिये इस भूमि को अक्षयपात्र योजना को उपलब्ध कराने की

संस्तुत नही की गई है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–6, श्री सुनील कुमार के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 687(1)/79–6–2012 दिनांक– 26.07.2012 दिनांक द्वारा भी कानपुर नगर के गॉधी स्मारक इण्टर कालेज, गोविन्द नगर अथवा श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परमपुरवा, जूही कानपुर में उपलब्ध 02–03 एकड़ भूमि का चिन्हांकन (आवागमन की सुविधायुक्त, प्रदूषण रहित वातावरण तथा विवाद रहित भूमि) कर प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्य, श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज, परमपुरवा जूही, कानपुर के पत्रांक मेमो/2012–13 दिनांक– 04.07.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि अक्षयपात्र योजना हेतु नगर निगम प्रशासन चाहे तो विद्यालय परिसर के बाहर खाली पड़ी भूमि में से कुछ भूमि जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर को उपलब्ध करा दे तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

शासन द्वारा प्रस्तावित मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम स्वयं सेवी संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन अथवा अन्य समकक्ष स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से संचालित कराये जाने हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज परमपुरवा, जूही, कानपुर के परिसर के बाहर रिक्त भूमि 39,431.08 वर्ग मीटर में से न्यूनतम अपेक्षित भूमि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को 30 वर्ष के लिये सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिये जाने का प्रस्ताव है, जो बढ़ाया भी जा सकता है। किन्तु भूमि का स्वामित्व सदैव नगर निगम का रहेगा। जनहित मे इस कार्य के सम्पादन हेतु श्री रत्नशुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज जूही कानपुर की उक्त न्यूनतम् अपेक्षित भूमि शासन के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को दिये जाने में आपत्ति नही प्रतीत होती है। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था हेतु उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है तो लीज डीड स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। शिक्षा विभाग सरकारी विभाग है जिसे सांकेतिक लीज रेन्ट पर दिया जाना प्रस्तावित है, किन्तु लीज की शर्तो को निर्धारित एवं संशोधित करने का अधिकार सदैव नगर निगम में निहित होगा।

नगर निगम सदन के सकारात्मक निर्णय के उपरांत भी शासन के नगर विकास विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लीज डीड सम्पादित की जायेगी।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–38</u>

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 1100/2012–13/क दिनांक 17.10.12 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के अर्न्तगत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

जोनल कार्यालय जोन–5 में कार्यरत श्री किशोर कुमार निगम, द्वितीय श्रेणी लिपिक को मुख कैंसर के आपरेशन हेतु धनांक 50,000.00 की चिकित्सा अग्रिम भुगतान की मॉग की है। इनकी हालत अत्यन्त गम्भीर होने के कारण धनांक 50,000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र चिकित्सा अग्रिम के

रूप में भुगतान किये जाने हेतु कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रत्यशा में मा0 महापौर/नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.10.12 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

अतः अधिनियम की धारा 132(3) के अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–39

विषय :– नरौना चौराहे पर स्थित गणेश चौक को गोद लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि परतंत्र भारत में कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्याथ्री ने सन् 1913 में प्रताप अखबार की नींव डाली थी। जिसने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस पत्र ने सारे भारत में आजादी का बिगुल फूंका था। वर्ष 2013 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। प्रताप अखबार ने आजादी की लड़ायी में अपनी अग्रणी भूमिका निभायी थी। जिसे नगर निगम को भूलना नही चाहिये। इसलिये नगर निगम का यह नैतिक दायित्व बनता है कि प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पूरे हर्षोल्लास से मनायें, यही प्रताप के योगदान को याद करने का सही वक्त है। कानपुर के महापौर होने के नाते इसकी पहल आपकों करनी चाहिये। प्रताप के शताब्दी वर्ष पर ऑल इण्डिया फ्रीलान्सर जर्नलिस्ट फेडरेशन नरौना चौराहा स्थित गणेश चौक को रख–रखाव व सुंदरीकरण के लिये पॉच वर्ष के लिये गोद लेना चाहती है।

अतः फेडरेशन की ओर से आपसे आग्रह है कि कृपया उक्त चौक को फेडरेशन को रख–रखाव हेतु देने के लिये मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को आदेशित करें ताकि शताब्दी वर्ष पर उक्त चौक का सुंदरीकरण कराया जा सकें । इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–40

विषय :– कानपुर के प्रताप अखबार का जन्मशताब्दी वर्ष मनाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि परतंत्र भारत में कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन् 1913 में प्रताप अखबार की नींव डाली थी। जिसने देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इस पत्र ने सारे भारत में आजादी का बिगुल फूंका था। वर्ष 2013 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। प्रताप अखबार ने आजादी की लड़ायी में अपनी अग्रणी भूमिका निभायी थी। जिसे नगर निगम को भूलना नही चाहिये। इसलिये नगर निगम का यह नैतिक दायित्व बनता है कि प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पूरे हर्षोल्लास से मनायें, यही प्रताप के योगदान को याद करने का सही वक्त है। कानपुर के महापौर होने के नाते इसकी पहल आपकों करनी चाहिये।

प्रताप के शताब्दी वर्ष पर नगर निगम, कानपुर को फीलखाना मार्ग का बिरहानारोड तक नाम **गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग,** गणेश उद्यान फूलबाग का सुंदरीकरण, गणेश चौक नरौना चौराहे को फेडरेशन को सौपने, प्रताप के संक्षिप्त इतिहास का प्रकाशन, प्रताप अखबार पर विशेष डाक टिकट जारी करने की प्रबल आवश्यकता है जिस पर केन्द्र व प्रदेश सरकार को तुरन्त पहल करनी चाहिये।

अतः फेडरेशन की ओर से आपसे आग्रह है कि कृपया प्रताप का संलग्न इतिहास का अवलोकन कर इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। फेडरेशन इस संबंध में किसी भी तरह के सहयोग को तैयार है। कृपया कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करे।

राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक

ऑल इण्डिया फ्रीलांसर जर्नलिस्ट फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक केन्द्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 सर्वेश कुमार 'सुयश' के निर्देश पर दिनांक– 15 अक्टूबर, 2012 को फेडरेशन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार श्री तिलक एडवोकेट की अध्यक्षता में सायं 06:00 बजे आहूत की गई। जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुये।

अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार के जन्म शताब्दी वर्ष पर विशेष डाकटिकट जारी करने का प्रस्ताव फेडरेशन द्वारा संचारमंत्री को भेजा जाये। ताकि डाक विभाग उस पर विशेष डाक टिकट जारी कर सके।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से नरौना चौराहे पर बने गणेश चौक को रख–रखाव व सुंदरीकरण के लिये पॉच वर्षो के लिये गोद लेना चाहती है। जिसकी नगर निगम से महापौर के द्वारा अनुमति ली जायेगी। इस कार्यवाही को फेडरेशन की नगर इकाई पूर्ण करेगी।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से फीखाना मार्ग कमलाटावर से बिरहाना रोड तक का नामकरण गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग करने की मांग करता है।

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से गणेश उद्यान फूलबाग का संदरीकरण कराने की अपेक्षा के साथ नगर निगम द्वारा पूरे वर्ष प्रताप अखबार का शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित करने की मॉग करता है।

ह0.....महापौर

फेडरेशन नगर निगम, कानपुर से शताब्दी वर्ष पर उसके संक्षिप्त इतिहास के प्रकाशन के साथ ही नगर निगम के स्कूलों में विद्यार्थी जी पर संगोष्ठी आदि के आयोजन की मॉग करता है।

फेडरेशन महापौर जी से अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी जी के गरिमा के अनुरूप उपरोक्त प्रस्तावों पर सहदृयता से विचार कर समस्त प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर नगर निगम कार्यकारिणी में रखकर इनका अनुमोदन कर क्रियान्वयन करें। यही विद्यार्थी जी व उनके प्रताप अखबार के शताब्दी वर्ष पर कानपुर की जनता व पत्रकारों की ओर से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

..... सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

श्री संदीप जायसवाल ने क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से अवगत कराते हुये कहा कि खराब हैण्डपम्प ठीक कराने हेतु जलकल विभाग प्लम्बर या कर्मी उपलब्ध नही करा रहा है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जलकल विभाग में आपसी सामन्जस्य नही है । खराब हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में जोनल कार्यालय का कर्मी कहता है कि हैण्डपम्प रिबोर योग्य है जबकि मुख्यालय का कर्मी आकर उसे ठीक कर देता है।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक जलकल विभाग को निर्देशित किया कि खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु वार्डवार टीमें गठित की जाये।

श्री संदीप जायसवाल ने कहा कि पार्को में तथा नगर निगम स्कूलों में अवैध कब्जे है, जिससे क्षेत्र में गंदगी की साथ–साथ अराजकता बढ़ रही है।

नगर आयुक्त ने कहा कि सभी पार्षदों से अपेक्षा है कि जहॉ कहीं नगर निगम की सम्पत्ति है तथा उन पर अवैध कब्जा है, उससे अवगत करायें, जिससे उनका तत्काल अतिक्रमण हटवाकर क्षेत्रीय नागरिकों की सुविधा हेतु उपलब्ध भूमि पर सामुदायिक केन्द्र/बारातशाला का निर्माण कराया जायेगा।

सभापति ने सदस्यों से कहा कि नगर निगम की अतिक्रमित या खाली पड़ी भूमि का चिन्हांकन कर संज्ञान में लाया जाये ताकि उन पर बरातशाला का निर्माण करा दिया जाये जिससे जो लोग गेस्ट हाउस में अपने मांगलिक कार्यक्रम नही कर पाते है, वे लोग अपनी सुविधानुसार अच्छे ढंग से कार्यक्रम सम्पन्न कर सके। क्षेत्रीय जनता भी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम सस्ती दरों पर सम्पन्न कर सके। उदाहरण देते हुये कहा कि प्रेम नगर स्कूल में बरातशाला निर्मित कराई गई है तथा उसी में पुनः और निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इससे क्षेत्रीय नागरिक लाभांवित हो रहे है।

सभापति ने बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना अभिमत व्यक्त करने को कहा ।

..... सर्वसम्मति से आज दिनांक– 17.10.2012 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

अन्त में सभापति ने सभी सदस्यों को धन्यवाद् देते हुये कहा कि सकारात्मक सोच एवं संसाधनों में वृद्धि की चिंता के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ा जाये । इसी के साथ बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया ।

ह0.....

(जगत वीर सिंह द्रोण)

महापौर / सभापति

ह0.....महापौर